ऑस्ट्रिया को दिया निवेश का न्योता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर की व्यापार बैठक, आपसी सहयोग का खाका तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद मंगलवार शाम मॉस्को से यहां पहुंचे थे। यह 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने बुधवार को यहां हॉफबर्ग पैलेस में आयोजित एक गोलमेज व्यापार बैठक में ऑस्ट्रिया तथा भारत की आला कंपनियों के सीईओ को संयुक्त रूप से संबोधित किया।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रियाई कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों के बीच नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'इंडिया-ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज' फरवरी, 2024 में पेश किया गया था। भारत-ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय व्यापार 2023 (जनवरी-दिसंबर) में 2.93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। ऑस्ट्रिया को भारतीय निर्यात 1.52 अरब डॉलर और वहां से आयात 1.41 अरब डॉलर रहा है।

मोदी ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ 'सार्थक चर्चा' की। इस दौरान यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत विश्व में जारी विवादों पर विस्तृत बातचीत हुई। वार्ता के बाद नेहमर के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'हमने अपने संबंधों को रणनीतिक दिशा देने का निर्णय लिया है। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है।' मोदी ने कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया बातचीत और कूटनीति पर जोर देते हैं और इसके लिए वे कोई भी सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया, दोनों देश आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। बैठक से पहले मोदी ने कहा कि भारत-ऑस्ट्रिया दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में यह और गहरी होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात की

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर वार्ता

- दोनों नेताओं ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाएं तलाशीं
- पिछले वित्त वर्ष में भारत-ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्वागत समारोह की तस्वीरों के साथ 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत और ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फेडरल चांसलरी में ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने गर्मजोशी से स्वागत किया।' मोदी को यहां फेडरल चांसलरी में वार्ता से पहले 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। उन्होंने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री एलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने यहां पहुंचने पर हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वियना में दोनों नेताओं की तस्वीरों के साथ 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी में मील का एक महत्त्वपूर्ण पत्थर! ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने एक निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात है। नेहमर ने 'एक्स' पर अपनी और मोदी की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विएना में स्वागत है! ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना खुशी और सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र और साझेदार हैं। दोनों देश वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।'

ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मिले मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई और भारत-ऑस्ट्रिया सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।' **भाषा**

साझेदार बना रहेगा भारत : अमेरिका

अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन ने कहा है कि रूस के साथ संबंधों को लेकर चिंताओं के बावजूद भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वीं भारत-रूस शिखर वार्ता के लिए मॉस्को के दो दिवसीय दौरे पर गए थे। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के साथ उनकी बातचीत पर पश्चिमी देशों की करीबी नजर थी।

मंगलवार को पुतिन से बातचीत में मोदी ने उनसे कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान पर संभव नहीं है और शांति के प्रयास बम और बुलेट के बीच सफल नहीं होते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन और विदेश विभाग के प्रवक्ताओं ने रूस के साथ भारत के रिश्तों और मोदी के मॉस्को दौरे से जुड़े सवालों पर मंगलवार को अलग-अलग प्रतिक्रिया दी।

पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने वाशिंगटन में कहा, 'भारत और रूस के बीच काफी लंबे समय से रिश्ते हैं। अमेरिका के नजरिये से, भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ हम रूस से उसके रिश्तों को लेकर पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करना जारी रख रहे हैं। चूंकि, यह इस हफ्ते होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से संबंधित है, इसलिए निश्चित रूप से, आपकी तरह ही दुनिया का ध्यान भी इस पर केंद्रित है।' वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका 'रूस से भारत के रिश्तों को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में' बिल्कुल स्पष्ट रहा है।

अदाणी को दी जमीन वापस लेने के आदेश पर रोक

भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार से मुंद्रा बंदरगाह के पास 2005 में अदाणी समूह की कंपनी को दी गई लगभग 108 हेक्टेयर चारागाह भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया था। गुजरात सरकार ने बीते शुक्रवार को कहा था कि वह अदाणी समूह से कच्छ क्षेत्र में आने वाली यह जमीन वापस लेकर ग्रामीणों को दे देगी, ताकि वे उसमें अपने पशुओं को चरा सकें।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन के पीठ ने 'अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड' (एपीएसईजेड) की अपील पर गौर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को न्याय

के हित में खड़ा होना चाहिए। इसलिए इस आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। अदाणी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाई कोर्ट ने उनका पक्ष नहीं सुना। इस पर पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी किया जाए। उक्त आदेश पर रोक लगाई जाए।'

राज्य सरकार ने 5 जुलाई को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह लगभग 108 हेक्टेयर 'गौचर' भूमि वापस लेगी जो अदाणी समूह की कंपनी को 2005 में दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, 'गुजरात राज्य के राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के हलफनामे पर गौर करते हुए हम संबंधित प्राधिकारी/अधिकारियों से कानून के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा करते हैं।'

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई निर्धारित की थी। कच्छ जिले के नवीनल गांव के निवासियों ने अदाणी की कंपनी को 231 एकड़ 'गौचर' (चारागाह) भूमि आवंटित करने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। हालांकि राज्य राजस्व विभाग ने 2005 में आवंटन किया था, लेकिन ग्रामीणों को इसके बारे में साल 2010 में तब पता चला जब एपीएसईजेड ने उसे मिली 'गौचर' भूमि पर बाड़ लगानी शुरू की।

तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि सीआरपीसी का यह 'धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ' प्रावधान सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होता है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के पीठ ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को धर्मनिरपेक्ष कानून पर तरजीह नहीं मिलेगी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, 'हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा-125 सभी महिलाओं के संबंध में लागू होगी।' दोनों न्यायाधीशों ने अलग लेकिन समवर्ती आदेश दिए।

पीठ ने कहा कि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा-125 के दायरे में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। यह धारा पत्नी के भरण-पोषण के कानूनी अधिकार से संबंधित है। पीठ ने जोर देकर कहा कि भरण-पोषण दान नहीं, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म की हों। उसने कहा, 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को सीआरपीसी की धारा-125 के धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान पर तरजीह नहीं दी जाएगी।' शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने गुजारे भत्ते के संबंध में परिवार अदालत के फैसले में दखल देने का समद का अनुरोध ठुकरा दिया था। **भाषा**

बॉलीवुड को मिला कल्कि से सहारा

हिंदी फिल्म उद्योग के लिए साल 2024 कारोबार के लिहाज से अब तक काफी सुस्त रहा है। फिल्म उद्योग के जानकार कहते हैं कि बड़े मियां, छोटे मियां, मैदान और योद्धा जैसी बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम होने के बाद केवल 'कल्कि 2898 एडी' के हिंदी संस्करण की कामयाबी से ही उसे कुछ दम मिला है।

छह महीने की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार हिंदी फिल्मों का कारोबार लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक गिरा है। लघु फिल्में और मूल आइडिया पर बनीं लापता लेडीज (20 करोड़) और मुंज्या (98 करोड़) जैसी फिल्मों ने जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिल्म कारोबार विशेषज्ञ कोमल नाहटा कहते हैं, 'मैंने कहा था कि फिल्मों के कारोबार के लिहाज से 2024 के शुरुआती छह महीने बहुत बुरे रहे हैं। कल्कि ने कुछ कारोबार किया। इसने हमारे रिपोर्ट कार्ड को कुछ दुरुस्त किया है। अन्यथा यह बिल्कुल लाल रंग से रंगा होता।' **एजेंसियां**

नीट परीक्षा में गड़बड़ी को करना होगा क्लीन

आशिष तिवारी

तथागत अवतार ने एक साल तक हर सुबह उठकर करीब छह घंटे अपने कमरे में लैपटॉप पर बिताए। दोपहर का खाना खाने के तुरंत बाद वह फिर अगले 6-7 घंटे लैपटॉप पर ही बिताते थे। रात के खाने के दौरान ही वह अपने माता-पिता से थोड़ी बातचीत करते थे और फिर सो जाते थे।

इस दिनचर्या का नतीजा यह हुआ कि उन्हें इस साल राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा (स्नातक) यानी नीट-यूजी 2024 में 720 में से 720 अंक मिल गए। तथागत अपनी इस सफलता का श्रेय एक एडटेक कंपनी को देते हैं। उन्होंने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके बिना यह हासिल कर पाता।'

साल 2021 में कोचिंग बाजार का मूल्य 58,089 करोड़ रुपये था और इसके इस दशक के अंत तक 1,79,527 करोड़ रुपये पहुंचने की उम्मीद है

इस साल 5 मई को की नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ कम से कम 38 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई हैं। नई लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और अभ्यर्थियों के प्रति चिंता जताई है।

स्वायत्त सरकारी निकाय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित होने वाली नीट-यूजी अब देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए एकमात्र परीक्षा है। इसे दो चरण की प्रक्रिया को बदलकर एक आम परीक्षा में तब्दील कर दिया गया है। नीट के प्रचलन में आने से पहले अभ्यर्थी ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं में शामिल होते थे।

साल 2013 में शीर्ष अदालत ने निजी कॉलेजों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नीट के कार्यान्वयन को रद्द कर दिया था। निजी संस्थानों को संस्थागत स्वायत्तता के नुकसान की आशंका थी। तीन साल बाद यानी साल 2016 में पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ द्वारा पूर्व के फैसले को वापस लिया गया और सरकार को सामान्य परीक्षा लेने की अनुमति के साथ ही इसे बहाल कर दिया गया। इस केंद्रीकृत परीक्षा होने से पहले तक अभ्यर्थियों को बड़े पैमाने पर कई परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरना पड़ता था और उन्हें खास तैयारी के लिए एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक तक दौड़ भी लगानी पड़ती थी।

देश में मेडिकल की पढ़ाई को नियंत्रित करने वाली संविधिक सरकारी संस्था राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मुताबिक, भारत में 704 मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें कुल मिलाकर 1,09,170 सीटें हैं। केंद्र, राज्य सरकार, निजी और डीम्ड कॉलेजों की संख्या क्रमशः 7, 382, 264 और 51 है। अनुमान है कि इस साल करीब 24 लाख अभ्यर्थियों ने नीट-यूजी दी थी।

कोचिंग संस्थान

संस्थानों में एक साल की नीट की तैयारी का खर्च करीब 80 हजार से 1 लाख रुपये के बीच है। मगर

वहां छात्रवृत्ति के नाम पर छूट भी दी जाती है। ऐसे किसी एक संस्थान के एक व्यक्ति ने कहा, 'अगर अभ्यर्थी को 12वीं में 80 फीसदी या उससे अधिक अंक मिले हैं तो उन्हें फीस पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी और इसमे उससे ज्यादा भी छूट मिल सकती है।' कितनी छूट मिलनी है ये बाजार के शोध पर तय होता है।

उद्योग के जानकार अल्बर्ट पी रायन कहते हैं कि नीट ने कई कोचिंग संस्थानों को शुरू कराया है। कई स्कूल भी अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के वास्ते कोचिंग संस्थानों के साथ करार करते हैं। उन्होंने कहा, 'ये संस्थान शहरी और अमीर बच्चों का समर्थन करते हैं। संस्थान लाखों रुपये तक की फीस लेते हैं और अंततः पूरी बहस सामर्थ्य बनाम योग्यता पर आकर रुक जाती है।'

रितिका के माता-पिता को उसकी कोचिंग का फीस देने तक के लिए ऋण लेना पड़ा। लेकिन इस बार उसे जितने अंक मिले हैं अब डर है कि उसे निजी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ सकता है। यह डर स्वाभाविक है। उच्च शिक्षा की जानकारी देने वाले करियर360 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में निजी कॉलेजों से एमबीबीएस (बैचलर ऑफ मेडिसन, बैचलर ऑफ सर्जरी) करने में करीब 70 से 75 लाख रुपये लगते हैं। सरकारी कॉलेजों में करीब 6 लाख रुपये में पढ़ाई पूरी हो जाती है।

निजी संस्थानों में पढ़ाई बहुत खर्चीली

पुणे के कंसल्टेंसी फर्म इनफिनियम ग्लोबल रिसर्च एलएलपी द्वारा भारत के कोचिंग क्लास बाजार पर 2023 में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर निम्न आय वर्ग से आने वाले बच्चों और उनके परिवारों के लिए कोचिंग के लिए खर्च करना संभव नहीं हो पाता है। तैयारी में औसतन करीब 70 हजार से 2 लाख रुपये लगते हैं। छोटे संस्थान सस्ते होते हैं और वहां छात्रवृत्ति भी दी जाती है। ऐसे संस्थानों में काम करने वाले एक शख्स ने कहा, 'परीक्षा की तैयारी कराने वाले बाजार बहुत प्रतिस्पर्धी है और इन दिग्गजों के सामने हमारे पास फीस कम करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।'

इनफिनियम के मुताबिक, साल 2021 में कोचिंग बाजार का मूल्य 58,089 करोड़ रुपये था और इसके इस दशक के अंत तक 1,79,527 करोड़ रुपये पहुंचने की उम्मीद है। फर्म ने साल 2023-30 के दौरान इस उद्योग के 14.07 फीसदी चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है।

इस साल 13,16,268 छात्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सफल हुए हैं। केंद्रीय और सरकारी कॉलेजों में सिर्फ 56,405 सीटें ही हैं। जिन्हें इन कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता है वे या तो किसी निजी कॉलेज में दाखिला लेते हैं अथवा अगले साल फिर से तैयारी करते हैं। हर कोई निजी कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाता है, जैसा कि वहां की फीस के बारे में बताया गया है। करियर360 के संस्थापक महेश्वर पेरी ने कहा कि अमीरों के लिए ऐसा ही आरक्षण होता है। अधिक सरकारी सीटें होने से इस समस्या का समाधान हो सकता है।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम शुरू से ही इस परीक्षा के विरोध में रही है। पार्टी के तमिल अखबार मुरासोली ने इस साल की शुरुआत में संपादकीय में लिखा था कि सिर्फ तमिलनाडु में नीट के कारण 26 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। इस साल अलग प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्र लीक होना, अभ्यर्थियों को कृपांक देने के कई मसले सामने आए। कई अभ्यर्थियों ने सरकार से दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है।

म्युचुअल फंड में लगे जोखिम तो सेबी लगाएगा मरहम

सुनयना चड्ढा

म्युचुअल फंड चुनना बिल्कुल वैसा ही है, जैसे घुड़दौड़ में पक्की जीत वाला घोड़ा चुनना। आप फंड का पिछला प्रदर्शन तो देखते हैं मगर उसके जोखिम के बारे में सोचा है? बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है, जिससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिल सकती है।

दिक्कत क्या है

फिलहाल म्युचुअल फंड अपने रिटर्न का प्रचार करते हैं और बताते हैं कि आपको अपने निवेश से कितनी कमाई हुई। मगर इससे पूरी कहानी नहीं पता चलती। दो घोड़ों के बारे में सोचिए। पहला घोड़ हर रेस जीतता है मगर कभीकभार चोटिल हो जाता है। दूसरा घोड़ा धीमे दौड़ता है मगर हर रेस को सुरक्षित तरीके से पूरा करता है। ज्यादा जोखिम वाला घोड़ा बेशकर ज्यादा रिटर्न देता है मगर उसमें पैसे डूबने का खतरा भी ज्यादा रहता है।

आपका पैसा

जोखिम के साथ रिटर्न (आरएआर)

सेबी ने जोखिम के साथ रिटर्न या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न (आरएआर) का नया पैमाना तैयार किया है। यह बताता है कि म्युचुअल फंड से आप कितना कमा सकते हैं और कितना गंवाने को जोखिम उसमे है। इससे पता चलता है कि जोखिम के बदले कितना रिटर्न मिल सकता है। ज्यादा आरएआर का मतलब होता है कि जोखिम की तुलना में फंड से अच्छा रिटर्न मिल रहा है।

मान लीजिए कि दो म्युचुअल फंड हैं। पहला फंड 15 फीसदी रिटर्न तो देता है, लेकिन इसकी कीमत साल भर अप्रत्याशित तरीके से घटती-बढ़ती रहती है। दूसरा फंड हमेशा 10 फीसदी रिटर्न ही देता है। इनमें से पहला फंड ज्यादा मुनाफा देने वाला लगता है मगर इसमें रकम डूबने का जोखिम भी ज्यादा होता है।

आरएआर रेटिंग में फंड से मिलने वाले रिटर्न और इसके जोखिमों दोनों के बारे में बताया जाता है। मौजूदा नियामकीय व्यवस्था में म्युचुअल फंड के रिटर्न के साथ आरएआर बताना अनिवार्य नहीं है। साथ ही परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों

(एएमसी) में भी योजना का आरएआर बताने का चलन नहीं है।

क्यों है जरूरी

आरएआर की जानकारी होने से आप अलग-अलग म्युचुअल फंडों की तुलना काफी आसानी से कर सकते हैं। आप अपने जोखिम उठाने की क्षमता वाले फंड चुन सकते हैं। अगर आप ज्यादा जोखिम लेना चाहते हैं तो उच्च आरएआर वाले फंड चुन सकते हैं भले ही उसमें रिटर्न थोड़ा कम मिले। मगर आपको सुरक्षित निवेश करना पसंद है तो फिर आपको कम आरएआर और अधिक स्थिर रिटर्न वाला फंड चुनना चाहिए।

सेबी ने अपने परामर्श पत्र में कहा है कि म्युचुअल फंड में इतना उतार-चढ़ाव होत है कि कारगर फंड चुनने के लिए योजना के प्रदर्शन के साथ-साथ उसके आरएआर की भी जानकारी मिलनी चाहिए। उसमें कहा गया है, 'किसी भी योजना पोर्टफोलियो के आरएआर को जांचने के लिए सूचना अनुपात (आईआर) एक स्थापित वित्तीय अनुपात है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर कितना माहिर है।'

कैसे करता है काम?

सेबी ने अलग-अलग म्युचुअल फंडों के आरएआर की गणना के लिए मानक तरीका प्रस्तावित किया है। इससे सभी फंडों की रेटिंग समान स्तर पर होना सुनिश्चित होगा। नियामक ने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले उस पर आमलोगों की प्रतिक्रिया भी मांगी है।

इससे आपको क्या मिलेगा?

नई प्रणाली स्थापित करने का उद्देश्य निवेशकों को सही जानकारी देना है। लागू हो जाने पर म्युचुअल फंडों के बारे में जानकारी लेते वक्त ही उसके प्रदर्शन के साथ आरएआर की जानकारी मिल सकती है। इससे आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार सही निवेश विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

सेबी की यह प्रस्तावित आरएआर प्रणाली अधिक पारदर्शी और निवेशकों के अनुकूल म्युचुअल फंड बाजार की दिशा में उठाया गया एक कदम है। रिटर्न और जोखिम दोनों के बारे में जानने के बाद आप निवेश के मामले में बेहतर फैसले सकते हैं और उम्मीद है कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी तेजी से हासिल कर सकते हैं।

85 फीसदी अपनाएंगे जेन एआई

बीएस संवाददाता

जेनरेटिव एआई (जेन एआई) दुनिया भर में सॉफ्टवेयर कार्यबल को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जेन एआई अगले दो वर्षों के दौरान 25 फीसदी से अधिक सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट और परीक्षण कार्यों में सहायता करेगा। कैपजेमिनाई रिसर्च इंस्टीट्यूट के हालिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रौद्योगिकी को साल 2026 तक दुनिया भर में 85 फीसदी सॉफ्टवेयर कर्मचारी या कार्यबल अपनाएंगे।

www.bankofbaroda.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
बड़ौदा सन टॉवर, मुंबई

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	निविदा का नाम	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सूचीबद्ध करना	01.08.2024
2	वेब आधारित लेखा परीक्षा एवं अनुपालन सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, इन्स्टालेशन और रखरखाव	01.08.2024
3	एचपीई यूनिक्स सर्वर और उसके घटकों की आपूर्ति, इन्स्टालेशन और रखरखाव के लिए वेंडरों को सूचीबद्ध करना	01.08.2024

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है।
अन्य सूचना, यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 11.07.2024

मुख्य महाप्रबंधक
(आईटी)

46/24-25